न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 48 / 2020 दायरा दिनांक : 08.09.2020

उनवान

1— मथरा पुत्र हीरा, जाति मीणा, निवासी ग्राम सेमलीकलां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2— दीपचन्द पुत्र मथरा, जाति मीणा, निवासी ग्राम सेमलीकलां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3— केसरा पुत्र मथरा, जाति मीणा, निवासी ग्राम सेमलीकलां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

4— रंगलाल पुत्र मथरा, जाति मीणा, निवासी ग्राम सेमलीकलां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

5— कैला बाई पुत्री मथरा पत्नी प्रेम जी, जाति मीणा, निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

6— भूरी बाई पुत्री मथरापत्नी मन्ना जी, जाति मीणा, निवासी ग्राम पार्वती, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— काली बाई पुत्री सुगन चन्द पत्नी राधेश्याम, जाति मीणा, निवासी ग्राम लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2— फूल बाई विधवा पत्नी सुगनचन्द, जाति मीणा, निवासी ग्राम सेमलीकलां हाल निवासी धूधलिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3— गायत्री पुत्री मथरा पत्नी मूर्तिलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम गादिया जैमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

4— सुगना बाई पत्नी छोटूलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम सेमलीकलां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

5— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

उपस्थित – श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री संजय कुमार सक्सैना अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 16.03.2021

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 21/प्रार्थना पत्र/2020 निर्णय दिनांक 17.08.2020 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली संग्रहसार एवं विधि के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 4 के विरूद्ध धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करके उन्हें पावन्द किया गया है कि वह प्रार्थना पत्र में बेचान के बाद शेष बची हुई राशि का दान बेचान, के द्वारा स्थानान्तरित नहीं करें और विवादित आराजी के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु निर्णय पारित किया है जो कि अपीलांट नम्बर 1 खातेदार होने से उसके हक एवं अधिकारों के विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है । ग्राम सेमलीकला, तहसील अकलेरा में नई खतौनी संख्या 1 व पुरानी 2 की विभिन्न खसरा नम्बरान के 8 किता की 18 बीघा आराजी का एक मात्र अपीलांट नम्बर 1 मथुरा पुत्र हीरा खातेदार टीनेन्ट है और विधि का यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि खातेदार के विरूद्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 का प्राईमाफेसाई केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति न होते हुए भी उक्त निर्णय अपने अधिकारों से परे जाकर पारित किया है । अपीलांट एवं रेस्पोडेंट मीणा जाति के हैं जो अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा के तहत उत्तराधिकार के प्रावधान लागू नहीं होते हैं और पुराने हिन्दू लॉ के प्रावधान लागू होते हैं परन्तु पुराने हिन्दू लॉ में भी रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 को जन्म से हिस्सा देने का कोई कानूनी प्राावधान नहीं है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को कानूनन रेस्पोडेंट कम 1 व 2 का

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना चाहिए था । मीणा जाति में महिलाओं को उनके पितामह की आराजी में से पितामह के जीवनकाल में कोई कानूनी अधिकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं होते हैं। रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 के द्वारा घोषणा एवं विभाजन का वाद एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को उन्हें प्रस्तुत करनें का कोई लोकस स्टाण्डाई नहीं है और न ही वह उक्त वाद प्रस्तुत करने हेतु सक्षम व्यक्ति ही है । ऐसी स्थिति में जब रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 का वाद ही मेंटेनेबल नहीं हैं तो उस स्थिति में अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल होने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । अतः प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.08.2020 अपास्त की जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में धारा 212 आर टी ए का दावा पेश किया । पक्षकारान अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं । मीणा जाति में हिन्दू उत्तराधिकार लागू नहीं होता है । इसमें महिलाओं को वादग्रस्त आराजी में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है । वादग्रस्त आराजी का मथरा लाल एक मात्र खातेदार है जिसके विरूद्ध टी आई जारी नहीं हो सकती । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में आर. आर. डी. 2011 पेज 480, आर. आर. डी. 2020 पेज 246, ए. आई. आर. 1987 (एस.सी.) पेज 558, आर. एल.आर. 2006 (2) पेज 76, आर. आर. डी. 2018 पेज 694 एवं The Hindu Succession Act, 1956 पेज 339 उद्धरत की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी का खातेदार हीरा पुत्र गोविन्द के है । हीरा के बाद वादग्रस्त आराजी मथरा के नाम आयी । मथरा के बाद इनके लडके अपीलांट के नाम, काली बाई फूला बाई (सुगनचन्द फौत) के नाम आयी । मथरा वादग्रस्त आराजी से हमें बेदखल करना चाहता है । टी आई का आदेश बेचान, हस्तान्तरण नहीं करने बाबत है जो सही है । वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी आराजी है । अतः अपील खारिज की जावे । अपने पक्ष के समर्थन में आर. आर. डी. 1998 पेज 391, आर. आर. डी. 2002 पेज 744 उद्धरत की ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में प्रार्थिया/रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीर आर. आर. डी. 1998 पेज 391 व आर. आर. डी. 2002 पेज 744 के आधार पर किया गया कथन तर्कसंगत माना है । अपीलांट नम्बर 1/प्रार्थी के पति सुगन चन्द को देहान्त हो जाने व सुगन चन्द के कोई पुत्र नहीं होने के कारण उसकी एक मात्र पुत्री व बेवा रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का उक्त आराजी में हक व अधिकार निहित है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट संख्या 1/अप्रार्थी नम्बर 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया कि वह प्रार्थना पत्र में वर्णित बेचान के बाद शेष बची कुल 8 किता की 15 बीघा 14 बिस्वा आराजी का अन्य अप्रार्थीगण के पक्ष में या किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में किसी भी प्रकार का रहन, दान, बेचान द्वारा हस्तान्तरण नहीं करें तथा ताफैसला वाद की यथास्थिति बनाये रखे, जो उचित है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.08.2020 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा